(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 28/2019

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1– श्री कौशल कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र प्रेमचन्द जैन जाति जैन निवासी स्टेशन रोड वार्ड नं0 17 अन्ता जिला बारॉ (मालिक व विक्रेता) मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ

2– श्रीमती अनिता अग्रवाल पत्नि श्यामबिहारी निवासी सब्जीमण्डी वार्ड नं0 15 अन्ता जिला बारॉ (प्रोपराईटर) मैसर्स शिवानी एजेन्सी, सब्जीमण्डी के पास अन्ता जिला बारॉ

3– श्री अशोक कुमार गुप्ता पुत्र रामगोपाल निवासी 1–एस–28, तलवण्डी कोटा। मैसर्स गोरधन लाल सांवरलाल, 8–बी–50 महावीर नगर–तृतीय कोटा।

4– श्री हंसराज गुल्गुलिया पुत्र स्व0 श्री भोमराज गुल्गुलिया निवासी बनियो की गली, बलियो का मोहल्ला नाल बडी, बीकानेर–334001 (नोमिनी) UDYOGA MANDIR, F/148-149, Industrial Area, Bhichhwal, Bikaner Raj.

5– UDYOGA MANDIR, F/148-149, Industrial Area, Bhichhwal, Bikaner Raj.

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री सत्येन्द्र जामोदिया अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 31.12.2019

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.10.2018 को मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री कौशल कुमार पुत्र प्रेमचन्द जैन (मौक पर मौजूद विक्रेता व मालिक) की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 30.10.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां पर खाद्य पदार्थ **मुंगफली का तेल (नेचूरल) 1 लीटर बॉतल पैक** मे विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **मुंगफली का तेल (नेचूरल) 1 लीटर बॉतल पैक** में मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:22:08 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **मुंगफली का तेल (नेचूरल) 1 लीटर बॉतल पैक** के 04 मूल पैकिट वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे, जिसकी कीमत श्री कौशल कुमार पुत्र प्रेमचन्द जैन (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 400/– रूपये (अक्षरे चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मुंगफली का तेल (नेचूरल)1 लीटर बॉतल पैक के 04 मूल पैकिट को चार नमूना भागो मे अलग–अलग मूल पैकिट पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–867 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में पोलिपैक पाउच के साथ लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–867 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री कौशल कुमार पुत्र प्रेमचन्द जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/236 दिनांक 12.12.2018 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 675/FSSA /Kota/ Act/2018 /748 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मुंगफली का तेल (नेचूरल) 1 लीटर बॉतल पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत मिथ्याछाप (**Misbranded**) होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ से पत्रांक 259 दिनांक 19.12.2018 से सूचना चाही गई। मैसर्स जैन प्रोविजन स्टोर सीसवाली रोड अन्ता जिला बारॉ द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञापत्र, आधारकार्ड व क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 14.10.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मय अभिभाषक के उपस्थित होकर प्रकरण मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:22:08 IST
Reason: SelfAttested.

जवाब नही कर, अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण मे अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **मुंगफली का तेल (नेचूरल) 1 लीटर बॉतल पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि खाद्य पदार्थ मुंगफली का तेल (नेचूरल) 1 लीटर बॉतल पैक वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय की गई थी। जिसमे किसी भी प्रकार की कोई कमी नही पाई जाने पर उनके द्वारा लेबलिंग की जांच की गई। जो जांच रिपोर्ट मे मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त त्रुटि को भी वर्तमान लेबलिंग मे दुरूस्त कर दिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गयी कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 675/FSSA /Kota/ Act/2018/748 दिनांक 29.11.2018 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नही करवायी गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **मुंगफली का तेल (नेचूरल) 1 लीटर बॉतल पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 675/FSSA /Kota/ Act/2018/748 दिनांक 29.11.2018 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1,2,3,4 प्रत्येक को 1000/–1000/–रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 5 को 6000/– रूपये पत्रावली मे कुल जुर्माना राशि 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:22:08 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.01.08 16:07:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: